AC-II कैलाश बनाम कल्याण

प्रा०पत्र - 15/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		जवाब प्रा०पत्र पेश किया गया शामिल हो। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। बजे प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 114 व 151 पर वकील अप्रार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 114 व 151 आगामी पेशी तारीख 6/11/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	6/11/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रा०पत्र लिखित कथन के लिए समय दिये जाने हेतु पेश किया। शामिल हो। प्रा०पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थी/अप्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर लिखित कथन पेश करने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश पूर्व आवश्यक रूप से लिखित कथन पेश करें। पत्रावली वास्ते पेश करने लिखित कथन/उचित आदेश आगामी पेशी तारीख 10/11/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	10/11/20	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व आदेश 114 सी.पी.सी पेश हुई। वकुलाई फरीकेन उपस्थित । प्रार्थी/ प्रतिवादी नं. 9 व 15 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व आदेश 114 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को पुस्तैनी भूमि बताकर पारिवारिक समझौता

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

कैलाश बनाम कल्याण

मुकदमा संख्या /वर्ष 5191 (59/20 मूलवाद) (विविध 15/2020) /20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		दिनांक 14.10.2012 को आधार बताते हुए अपने हक व हिस्से की घोषणा चाही है। न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम आदेश दिनांक 25.10.2019 को पारित कर राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेश दिया। उक्त आदेश में खसरा नम्बर 2244 का रकबा 0.31 हैक्टेयर लिखा गया, जो तत्कालीन जमाबंदी के अनुरूप था। खसरा नम्बर 2244 में से अर्से पूर्व ही 0.18 हैक्टेयर भूमि का बेचान प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रतिवादी नं. 14 को कर दिया था तथा उसका नया खसरा नम्बर 2863/2244 रकबा 0.18 हैक्टेयर बना। कालान्तर में प्रतिवादी नं. 14 द्वारा उक्त 0.18 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी नं. 16 को विक्रय कर दी गई तथा प्रतिवादी नं. 16 द्वारा 2 अलग-अलग विक्रय पत्रों द्वारा प्रतिवादी नं. 9 व 15 को कर दिया गया। प्रतिवादी नं. 9 व 15 अपने परिवारजन के निवास हेतु मकान बना रहे हैं। वादीगण ने बदनियति से खसरा नम्बर 2863/2244 को वादग्रस्त भूमि में शामिल कराने व उस बाबत स्थगन प्राप्त करने हेतु न्यायालय में आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार कर न्यायालय ने दिनांक 24.8.2020 को खसरा नम्बर 2863/2244 बाबत भी एकपक्षीय अंतरिम स्थगन पारित कर दिया। जबकि जिस पारिवारिक समझौते दिनांक 14.10.2012 को आधार बनाकर दावा दायर किया गया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि खसरा नम्बर 2244 की 0.18 हैक्टेयर भूमि का कल्याण प्रतिवादी नं. 1 द्वारा किया गया बेचान को किसी को आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात आदेश	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

एटीआई
प्रा०पत्र - 15/2020 केलाश बनाम कल्याण
15

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र वादीगण के स्वीकृत तथ्यों के विपरीत था। जिस बाबत न्यायालय से तथ्य छिपाए गए जिससे प्रतिवादी नं. 9 व 15 के विधिक अधिकार बाधित हो गए। अंत में अंतरिम आदेश दिनांक 24.8.2020 को खसरा नम्बर 2863/2244 बाबत प्रभावहीन किए जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र का वादीगण द्वारा जवाब इस आशय का दिया गया है कि जब तक अप्रार्थी नं. 1 द्वारा पारिवारिक समझौतों की पालना नहीं की जाती तब तक उसके द्वारा किए गए विक्रय शून्य व अप्रभावी है। प्रतिवादी नं. 9 मोहनलाल प्रतिवादी नं. 1 कल्याण का पुत्र है। कल्याण ने बदनियति से बेटे के नाम भूमि वापस क्रय कर ली है। खसरा नम्बर 2863/2244 सहवन से दावे में छूट गया था, जिसे आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रा द्वारा दावे में संशोधित कर शामिल कराया है। प्रतिवादी नं. 9 व 15 स्थगन हटवाकर भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। अंत में अंतरिम आदेश दिनांक 24.8. 2020 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है। उभय पक्षों की बहस सुनी गई साथ वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा लिखित बहस व न्यायिक दृष्टांत भी पेश किए गए। लिखित बहस की नकल प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 9 व 15 को दिलाई गई। पत्रावली का मय मूलवाद, प्रार्थना पत्र टीआई, लिखित बहस व न्यायिक दृष्ट्रांत अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा जो भाई बटवारा/पारिवारिक समझौता पत्रा दिनांक 14.10.2012 पेश किया गया है उसमें पृष्ठ 3 पैरा 8 व पैरा 37 में यह उल्लेख किया गया है कि 0.18 एयर जमीन जो भाई कल्याण जी ने सुनील जैन को बेची है। इस जमीन को भाई बटवारे में शामिल नहीं माना गया है। इस खसरे का खाता ही अलग है। इस बाबत वादी पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 2863/2244 का चार बार बेचान हो चुका है। कल्याण द्वारा बेचान दिनांक 01.10.2012 को किया गया तथा कल्याण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

कैलाश बनाम कल्याण

मुकदमा संख्या /वर्ष 151 प्रार्थना पत्र - 15/2020 /20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पुत्र द्वारा 0.09 एयर भूमि दिनांक 31.05.2019 को क्रय की गई। इस तथ्य से भी किसी ने इंकार नहीं किया है। उक्त स्थिति में प्रार्थना पत्रा आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. वादीगण द्वारा सद्भाविक आशय से पेश किया हुआ नहीं माना जा सकता। न्यायालय से स्वीकृत तथ्यों के विपरीत तथ्य छिपाकर स्थगन प्राप्त करना वादीगण का सद्भाविक आशय नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी/वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011 (2) पेज 868 के केशु लाल बनाम श्रीमती राधा बाई व अन्य तथा जयसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2020(1) आरआरटी 497 में धारित न्यायिक निर्णय के तथ्य इस प्रकरण से मेल नहीं खाते है। अतः प्रतिवादी संख्या 9 व 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 24.8.2020 को दिये गए स्थगन आदेश को न्याय हित में प्रभावहीन किया जाता है। आदेश आज दिनांक 10.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner